

203
II/10/2017/4552

310

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल रीवा जिला रीवा

(म०प्र०)



रु. ३०-

- 1- मुस० गंगीदेवी बेवा ददई राम
- 2- नंदलाल मिश्र तनय स्व० ददई राम
- 3- शिवदास मिश्रा तनय स्व० ददई राम
- 4- मनमूरति मिश्रा तनय स्व० ददई राम
- 5- राकेश तनय स्व० ददई राम
- 6- संजीव कुमार तनय स्व० ददई राम
- 7- नवीन कुमार तनय स्व० ददई राम

सभी निवासी ग्राम तेन्दुआ, तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म०प्र०)

अधिकारी पंडपतिकारी
द्वारा देश । 20.11.17

मेर
कल्याण आफ कोटि
राजस्व मण्डल म०प्र० जालीय
(सर्किट कोटि) रीवा

— आवेदकगण

बनाम

- 1- मुस० रामकली पत्नी बेवा ददनराम मिश्रा
- 2- हरिदास प्रसाद मिश्रा तनय स्व० ददनराम मिश्रा
- 3- श्रीमती सरोज बेवा पत्नी भुवनेश्वर प्रसाद मिश्रा
- 4- रामेश्वर उर्फ रमेश्वर प्रसाद मिश्रा तनय भुवनेश्वर प्रसाद मिश्रा
- 5- पूजा मिश्रा पुत्री भुवनेश्वर प्रसाद मिश्रा
- 6- आरती पुत्री भुवनेश्वर प्रसाद मिश्रा
- 7- श्रीमती नेहा पुत्री भुवनेश्वर प्रसाद मिश्रा पत्नी जयप्रकाश गौतम
- 8- मुनेन्द्र प्रसाद मिश्र तनय स्व० ददनराम मिश्रा

सभी निवासी ग्राम तेन्दुआ, तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म०प्र०)

— अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय नायब
तहसीलदार वृत्त सेमरिया, तहसील
गोपदबनास, जिला सीधी के प्र०क०
204/अ-74/2016 -17 में पारित

11/11 नवंबर 2017

203

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक III / निगो / रीवा / भू-रा० / 2017 / 4552

जिला-सीधी

मुस० गंगी देवी / मुस० रामकली मिश्रा

(1)

(2)

(3)

23.04.19

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रताप तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, वृत्त सेमरिया, तहसील गोपदबनास के प्रकरण क्रमांक 204 / अ-74 / 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 14.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपरित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो।


(बी.एम.शर्मा),
सदस्य


A.G.